संख्या– 452/VII-A-1/2020/90ख/16

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 02 मई, 2020

विषयः उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2020 के अन्तर्गत स्वीकृत अनुज्ञा अवधि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासन के आदेश संख्या–137/VII-1/2020/90ख/16, दिनाक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2020 प्रख्यापित की गई है। इस नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा सिल्ट/उपखनिज आर०बी०एम० निस्तारित किये जाने हेतु अल्प अवधि का अनुज्ञा यथा प्रक्रिया स्वीकृत किये जाने तथा आर०बी०एम०/सिल्ट के निस्तारण/उठान किये जाने की अनुज्ञा अधिकतम 04 माह अथवा मलवे/उपखनिज/सिल्ट की अनुज्ञात मात्रा हटाने की अवधि, जो भी पूर्व घटित हो, के लिए स्वीकृत किये जाने का प्राविधान किया गया है।

2. अवगत कराना है कि वर्तमान में भारत सहित समूचे विश्व में महामारी के पर्याय बने कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को रोकने हेतु स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–UKMFWS/PS-MDNHM/2019-20/2017, दिनांक 22 मार्च, 2020 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित अवधि (Lockdown Period) घोषित की गयी है। इस प्रतिबन्धित अवधि के दौरान गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के क्रम में शासनादेश संख्या–413/VII-A-1/2020–8(6)/2020, दिनांक 22 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रदेश में खनन संक्रियाएं (Mining operation), रिवर ट्रेनिंग आदि मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अधीन प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

3. उक्त के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2020 के अन्तर्गत ऐसे अनुज्ञाधारक, जिन्हें कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को रोकने हेतु प्रतिबन्धित अवधि (Lockdown Period) अर्थात् दिनांक 22.03.2020 से पूर्व आर०बी०एम०/सिल्ट के निस्तारण/उठान हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है तथा यदि अनुज्ञाधारक द्वारा उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2020 के उक्त प्रावधानानुसार आर०बी०एम०/सिल्ट के निस्तारण/उठान किये जाने की स्वीकृत अनुज्ञा अवधि अथवा मलवे/उपखनिज/सिल्ट की अनुज्ञात मात्रा हटाने की अवधि, जो भी पूर्व घटित हो, का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो ऐसे अनुज्ञाधारकों को प्रतिबन्धित अवधि (Lockdown Period) अर्थात दिनांक 22–03–2020 से खनन संक्रियाएं प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने की तिथि 22–4–2020 तक की अवधि को बाधित अवधि मानते हुए इस अवधि के समतुल्य अग्रेत्तर अवधि अनुज्ञा धारक को अनुज्ञात मात्रा हटाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव